



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53958

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 8953 वर्ष 2026

भूदेव

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : प्रदीप कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कीर्ति राज यादव और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम डॉ. एस.बी. मोर्य को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को थाना बिल्सी, जिला बदायूँ में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 203 वर्ष 2025, धारा 80(2) और 85 बी.एन.एस. तथा धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यद्यपि आवेदक मृतका का पति है, लेकिन उसे झूठे आरोपों के आधार पर इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है।
4. उन्होंने आगे तर्क दिया कि यद्यपि मृतका की मृत्यु गला घोटने के कारण हुई है और प्रथम दृष्टया यह मानव वध का मामला प्रतीत होता है, लेकिन विचारण के दौरान मृतका के माता-

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पिता ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है और उनके बयान वर्तमान जमानत आवेदन के साथ संलग्न किए गए हैं।

5. उन्होंने आगे तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष दर्ज मृतका के माता-पिता के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि घटना तब हुई जब मृतका शौच के लिए गई थी, और इसलिए यह दर्शाता है कि मृतका की हत्या उसके ससुराल के बाहर हुई थी, अतः आवेदक को उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

6. उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि मृतका के ससुर, मुकेश को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है और उनके जमानत आदेश की प्रति पेपर बुक के पृष्ठ 56 पर संलग्न है।

7. उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 9.6.2025 से अर्थात् पिछले नौ महीनों से अधिक समय से जेल में है।

8. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक मृतका का पति है और उसकी पत्नी की मृत्यु शादी के एक साल के भीतर गला घोटने के कारण हुई है और साथ ही दहेज की मांग के संबंध में प्रताड़ना के आरोप भी थे, इसलिए प्रथम दृष्टया दहेज हत्या के प्रावधान आकर्षित होते हैं और यह भी दर्शाता है कि मृतका की हत्या की गई है।

9. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि यद्यपि विचारण के दौरान मृतका के माता-पिता ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया, लेकिन यह तथ्य अभियोजन के मामले को कमजोर नहीं करता है और पति होने के नाते यह आवेदक का कर्तव्य है कि वह स्पष्ट करे कि उसकी पत्नी की शादी के एक साल के भीतर हत्या कैसे हुई।

10. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदक ने विचारण के दौरान दर्ज माता-पिता के बयानों के आधार पर यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि मृतका की मृत्यु ससुराल के बाहर हुई थी, लेकिन इन गवाहों के बयानों के अलावा अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह सुझाव दे सके कि मृतका की हत्या आवेदक के घर के बाहर हुई थी और प्रथम दृष्टया ऐसा

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रतीत होता है कि मृतका के माता-पिता को आवेदक द्वारा अपने पक्ष में कर लिया गया है, इसलिए उनके बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

11. उन्होंने आगे तर्क दिया कि यद्यपि मृतका के ससुर को समन्वय पीठ द्वारा जमानत दे दी गई है, लेकिन आवेदक मृतका का पति है और इसलिए उसका मामला मृतका के ससुर के मामले से भिन्न है।

12. उन्होंने आगे तर्क दिया कि इसलिए, वर्तमान जमानत आवेदन खारिज किया जाना चाहिए।

13. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।

14. आवेदक मृतका का पति है और उसकी पत्नी की मृत्यु शादी के एक साल के भीतर गला घोटने के कारण हुई है और इसलिए प्रथम दृष्टया यह मानव वध का मामला प्रतीत होता है और यहाँ तक कि दहेज की मांग के संबंध में प्रताड़ना के आरोप भी थे।

15. इसके अलावा, यद्यपि विचारण के दौरान मृतका के माता-पिता ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया, लेकिन न्यायालय को विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क में दम लगता है कि प्रथम दृष्टया यह मानव वध का मामला है, इसलिए इस आधार पर आवेदक को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह मृतका का पति है।

16. इसके अतिरिक्त, विचारण न्यायालय के समक्ष दर्ज मृतका के माता-पिता के बयानों की सहायता से, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय को यह समझाने का प्रयास किया कि जब मृतका शौच के लिए गई थी तब उसकी हत्या की गई, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मृतका के माता-पिता के बयानों के अलावा अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह सुझाव दे सके कि मृतका की हत्या उसके ससुराल के बाहर हुई थी। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि मृतका के माता-पिता विचारण के दौरान आवेदक का पक्ष ले रहे हैं और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्हें आवेदक द्वारा अपने पक्ष में कर लिया गया है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17. इसके अलावा, यद्यपि मृतका के ससुर को समन्वय पीठ द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन आवेदक मृतका का पति है और इसलिए वह मृतका के ससुर के जमानत आदेश से समानता का दावा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि सह-अभियुक्त मुकेश, यानी मृतका के ससुर के जमानत आदेश दिनांक 22.1.2026 से यह स्पष्ट होता है कि उन्हें समन्वय पीठ द्वारा केवल इस आधार पर जमानत दी गई थी कि मृतका के माता-पिता ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया था और इस आदेश से यह प्रतिबिंबित नहीं होता कि न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया था कि यह मामला ऐसा है जिसमें पत्नी की मृत्यु गला घोटने के कारण हुई है और प्रथम दृष्टया यह मानव वध का मामला है और इसलिए यह दर्शाता है कि महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर मृतका के ससुर का जमानत आदेश प्राप्त किया गया है।

18. इसलिए, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करने का इच्छुक नहीं हूँ।

19. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन)

17 मार्च, 2026

एसकेएम